न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री राकेश कुमार गुप्ता, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 21/2022

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
कानसिंह पुत्र शेतानसिंह जाति पुरोहित निवासी नारवा खुर्द तहसील खींवसर जिला नागौर		नायब तहसीलदार, खींवसर जिला नागौर।

उपस्थिति :–

1. श्री नरेन्द्र सारस्वत अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

दिनांक: 27.09.2023

निर्णय

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नायब तहसीलदार, खींवसर द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 11/2022 सरकार बनाम कानसिंह में निर्णय दिनांक 18.05.22 के तहत मौजा नारवा खुर्द की भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 16.06.22 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय वकील उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलांट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में निर्णय दिनांक 18.05.22 की फोटोप्रति, नायब तहसीलदार खींवसर के प्रकरण संख्या 11/22 के फर्द अहकाम दिनांक 12.04.22 से 11.05.22 तक की फोटोप्रति, नोटिस की फोटोप्रति, नकल आवेदन की फोटोप्रति पेश की गई।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)– अपीलाधीन निर्णय अवैध, अनाधिकृत, विधिविरूद्व, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत तथा बिना क्षेत्राधिकार के होने से अपास्त योग्य है।

{2}(II)– अपीलांट के पिता शैतानसिंह ने अपने खातेदारी कब्जे की भूमि खसरा संख्या 369 वाके मौजा नारवा खुर्द में से दो बिस्वा भूमि का सामुदायिक भवन बनाये जाने हेतु राजहक में सन् 2000 में समर्पण किया था। दो बिस्वा भूमि का समर्पण किया गया उस समय भी स्नानघर और पशुओ के बैठने बांधने का टीनशेड बना हुआ था जो इस समर्पित की गई दो बिस्वा भूमि के बाहर बने हुए थे और इस स्नानघर व पशुओ के लिए बने टीनशेड की भूमि का अपीलांट के पिता ने राजहक में कभी समर्पण नहीं किया था।

{2}(III)–खसरा नम्बर 369 में से अपीलांट क पिता ने मात्र दो बिस्वा भूमि का ही समर्पण किया था लेकिन तत्कालीन राजस्व कर्मचरियों ने दो बिस्वा की जगह आठ बिस्वा भूमि गलत रूप से गैर मुमकीन भूमि दर्ज कर दी जो बिना क्षेत्राधिकार के दर्ज की गई क्योंकि अपीलांट के पिता ने 8 बिस्वा भूमि का समर्पण कभी नहीं किया था केवल 2 बिस्वा भूमि का ही समर्पण किया था। इस प्रकार राजस्व अभिलेखों में 369/1 का रकबा 8 बिस्वा (0.647 हैक्टर) भूमि का इन्द्राज गलत दर्ज होने के कारण अपीलांट को किसी सूरत में अतिक्रमी नहीं माना जा सकता है।

{2}(IV)–अपीलांट के पिता द्वारा ही खसरा संख्या 369 में से भूमि समर्पित की गई थी जिसके नये खसरा संख्या 369/1 दर्ज हुए मगर इसमें इसका रकबा 2 बिस्वा के स्थान पर 8 बिस्वा गलत दर्ज किया गया। अपीलांट के पिता की समर्पित भूमि का फल धारा 91 की कार्यवाही कर अपीलांट को दिया गया। जिस दो बिस्वा भूमि का समर्पण किया गया उस पर सामुदायिक भवन बना हुआ है।

{2}(V)– पटवारी हल्का ने मौके पर आकर कभी नाप चौप नहीं किया न मौके रिपोर्ट तैयार की। तहसील में बैठ कर ही सारी झूठी रिपोर्ट तैयार की गई।

{2}(VI)–अपीलांट के विरूद्व निर्णय करने से पूर्व अपीलांट को नोटिस नहीं दिया न अपीलांट पर किसी नोटिस की तामील हुई न सवार नोटिस लेकर अपीलांट के पास आया और न अपीलांट ने कभी

अपर कलक्टर, नागौर

नोटिस लेने से इंकार किया। कुछ समय पहले पटवारी ने बताया कि अपीलांट का कब्जा पुलिस मदद से हटाया जायेगा क्योकि तहसील से फैसला उसके खिलाफ हो गया है तब अपीलांट ने खींवसर आकर पता कराया तब पहली बार अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी हुई। उससे पहले अपीलांट को निर्णय की कोई जानकारी नही थी। निर्णय की जानकारी होते ही अपील पेश की गई।

{2}(VII)–नकले मिलने पर अपीलांट को जानकारी हुई कि सवार ने नोटिस पर अपीलांट द्वारा नोटिस नही लेने की झूठी रिपोर्ट की है। अपीलांट के पास नोटिस लेकर सवार कभी भी नही आया। नोटिस पर किसी भी मौतवर व्यक्तियों कि हस्ताक्षर नही है। उक्त नोटिस पर किसी भी सूरत मे नही मानी जा सकती। नोटिस तामीलसुदा नही होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः नोटिस जारी करना चाहिये था लेकिन ऐसा नही किया गया। अपीलांट की तामील नही होने के कारण अपीलांट के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही भी नही की गई और सीधे ही अपीलांट के पीठ पीछे अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जो विधिविरूद्व होने से अपास्त योग्य है।

{2}(VIII)–अपीलांट की तामील हुए बिना, अपीलांट से जवाब लिए बगैर तथा अपीलांट को साक्ष्य सबूत व सुनवाई का अवसर दिये बगैर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(IX)–अपीलांट का किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है। स्नानघर व जानवरों का टीनशेड अपीलांट के भाई प्रतापसिंह के बन्ट कब्जे में होते हुए भी अपीलांट के विरूद्व धारा 91 भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही गलत की गई है। स्नानघर व टीनशेड भी खातेदारी की भूमि में है मगर फिर भी अपीलाधीन निर्णय गलत पारित होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा मौजा नारवा खुर्द में स्थित सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलांट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नायब तहसीलदार, खींवसर द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 11/2022 सरकार बनाम कानसिंह में निर्णय दिनांक 18.05.22 के तहत मौजा नारवा खुर्द की भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है परन्तु नोटिस चस्पानगी पर दो गवाहो के हस्ताक्षर नहीं है। जिससे यह ज्ञात होता है कि अपीलांट की विधिवत तामिल नहीं हुई है तथा अधीनस्थ न्यायालय की सुनवाई के दौरान अपीलांट उपस्थित रहा हो, ऐसा अभिलेख से प्रकट नही है। ऐसी स्थिति मे आदेश जैर अपील अपीलांट की पर्याप्त सुनवाई के अभाव मे इकतरफा पारित हुआ है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर नायब तहसीलदार खींवसर द्वारा मौजा नारवा खुर्द के प्रकरण संख्या 11/2022 सरकार बनाम कानसिंह निर्णय दिनांक 18.05.22 अपास्त किया जाता है। मामला अधीनस्थ न्यायालय को पुनःप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलांट को पर्याप्त सबूत, शहादत व सुनवाई का अवसर देते हुए गुणावगुण पर आदेश पारित करे।

(राकेश कुमार गुप्ता)
अपर कलक्टर,
नागौर
अपर कलक्टर, नागौर